

## कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- द्वितीय, उत्तर प्रदेश

पत्रांक:AE-2/03/WM-I/ खण्डीय लेखाकार (प्रशिक्षण)/387

दिनांक: 12.09.2018

### कार्यालय आदेश


1. परिवीक्षाधीन खण्डीय लेखाकारों को क्रियात्मक प्रशिक्षण के तृतीय चरण हेतु लोक निर्माण/सिंचाई खण्डों में दिनांक 14.09.2018 से 13.04.2019 तक के लिए प्रारम्भिक लेखों के सम्बन्ध में गहन ज्ञान तथा स्टोर लेखे तैयार करने की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु संलग्नक-1 में उनके नाम के सम्मुख अंकित लोक निर्माण/सिंचाई खण्डों में सम्बद्ध किया जाता है।
2. संलग्नक 2 एवं 3 में दिये गये विवरण के अनुसार क्रियात्मक प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा निर्धारित किये जायेंगे तथा खण्डों में पदस्थापित खण्डीय लेखाकार/खण्डीय लेखाधिकारी परिवीक्षाधीन खण्डीय लेखाकार को प्रशिक्षण देंगे।
3. खण्डों में क्रियात्मक प्रशिक्षण की अवधि में प्रत्येक परिवीक्षाधीन खण्डीय लेखाकार संलग्नक-4 के प्रपत्र में दैनिक कार्य की डायरी करेंगे तथा प्रतिमाह उसे वरिष्ठ लेखाधिकारी निर्माण विविध-1 अनुभाग कार्यालय महालेखाकार (ले०एवं ह०)-II उत्तर प्रदेश, 20, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद को खण्डीय लेखाकार / खण्डीय लेखाधिकारी तथा अधिशासी अभियंता जिसके साथ सम्बद्ध हैं की आख्या के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। संबन्धित माह की डायरी अगले माह की 5 तारीख तक अवश्य अग्रसारित कर दिया जाये।
4. नियमानुसार देय आकस्मिक अवकाश कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे तथा इससे इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा। अर्जित अवकाश व अन्य प्रकार के अवकाश के प्रार्थना पत्र तथा सेवा से संबन्धित अन्य मामले इस कार्यालय को अग्रसारित किये जायेंगे।
5. क्रियात्मक प्रशिक्षण के दौरान परिवीक्षाधीन खण्डीय लेखाकार अपने वेतन एवं भत्ते अपने मूल खण्ड से आहरित करते रहेंगे। क्रियात्मक प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के समय संलग्नक-1 में उल्लिखित लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग के खण्डों में योगदान करना होगा तथा योगदान की सूचना से इस कार्यालय को भी अवगत कराना होगा।
6. उपरोक्त अवधि का प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात खण्डीय लेखाकार (परिवीक्षाधीन) को प्रशिक्षण स्थान से उनके मूल खण्ड के लिये अवमुक्त करते हुये इस कार्यालय को सूचित किया जायेगा।
7. परिवीक्षाधीन खण्डीय लेखाकार को वास्तविक यात्रावधि एवं किराया देय होगा।

संलग्नक: यथोक्त।

उपमहालेखाकार/डी०ए०सी०सी०

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को समस्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव,महालेखाकार कार्यालय महालेखाकार (ले०हक०)-II उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 2- वरिष्ठ संप्रेक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर ऑडिट),उ०प्र०, इलाहाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उनके अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खण्डीय लेखाकारों (परि०) को दिनांक 12.09.2018 को पूर्वाह्न में इस कार्यालय हेतु अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- संलग्नक 1 में उल्लिखित अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख कालम-5 में अंकित संबंधित खंडों के अधिशासी अभियंता तथा खंड में तैनात खंडीय लेखाकार/लेखाधिकारियों से अनुरोध है कि परिवीक्षाधीन खण्डीय लेखाकार को प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें। खण्ड में प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात अधिशासी अभियंता द्वारा इस कार्यालय को निम्नलिखित सूचनायें प्रेषित की जायेंगी ।
  - (अ) परिवीक्षाधीन खण्डीय लेखाकार के ज्ञान व नियमों को समझने की क्षमता।
  - (ब) क्या परिवीक्षाधीन खण्डीय लेखाकार नियमित रूप से उपस्थित रहे। यदि नहीं तो क्या कारण थे?
  - (स) क्या परिवीक्षाधीन खण्डीय लेखाकार में कार्य करने की अभिरुचि है तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अच्छे आसार हैं, उनके द्वारा किये गये कार्य के मूल्यांकन उनके व्यवहार, चरित्र एवं अभिरुचि के आधार पर उक्त सम्बन्ध में मन्तव्य प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 4- संलग्नक 1 के कालम-4 में अंकित संबन्धित अधिशासी अभियंता जहां खंडीय लेखाकार (परि०) मूल रूप से तैनात हैं । .
- 5- संलग्नक 1 में उल्लिखित सभी संबन्धित खंडीय लेखाकारों (परि०) को निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण हेतु जारी कार्यालय आदेश को इस कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रशिक्षण हेतु संबन्धित खंड के अधिशासी अभियंता को अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें ।
- 6- निर्माण विविध- द्वितीय, अनुभाग में संबन्धित व्यक्तिगत पत्रावली हेतु ।
- 7- निर्माण विविध -प्रथम अनुभाग के प्रशिक्षण पत्रावली हेतु ।
- 8- लेखाधिकारी/आई०टी०सी०जी०,कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०)-प्रथम उ० प्र० इलाहाबाद को, इस कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

  
12.09.2018  
वरिष्ठ लेखाधिकारी नि०वि०-1

संलग्नक-1

SL.NO. (1)	NAME (2)	P.NO (3)	PRESENT PLACE OF POSTING (4)	PROPOSED PLACE OF POSTING (5)
1.	GAURAV SINGH	1553	QUALITY CONTROL DIVISION ALLAHABAD	Provincial DIVISION PWD ALLAHABAD
2.	ARPIT SHUKLA	1554	TUBEWELL DIVISION(I&P) UNIT-3 LUCKNOW	PROVINCIAL DIVISION PWD LUCKNOW
3.	RAJNISH TRIPATHI	1555	RESEARCH INSTITUTE PWD LUCKNOW	IRRIGATION DIVISION LUCKNOW
4.	ANAND SWROOP YADAV	1556	SSK-49 SULTANPUR	PROVINCIAL DIVISION PWD SULTANPUR
5.	SACHIN KUMAR VERMA	1557	QUALITY CONTROL DIVISION(WB) ROORKEE	PROVINCIAL DIVISION PWD Saharanpur
6.	GULAM SABIR	1558	I&P DIVISION JHANSI	PROVINCIAL DIVISION PWD JHANSI
7.	NEHA SINGH	1559	SARDA CANAL DIVISION SITAPUR	PROVINCIAL DIVISION PWD SITAPUR
8.	ASHISH PRATAP SINGH	1560	TUBEWELL DIVISION GONDA	PROVINCIAL DIVISION PWD GONDA
9.	ATUL KUMAR UPADHYAYA	1561	IRRIGATION DIVISION SULTANPUR	PROVINCIAL DIVISION PWD SULTANPUR
10.	RAMANUJ SHARMA	1562	IRRIGATION DIVISION-1 MAHARAJGANJ	PROVINCIAL DIVISION PWD MAHARAJGANJ
11.	SHRANGEYA KUMAR VERMA	1563	CD-2 INDO NEPAL BODER PILIBHIT	FLOOD DIVISION PILIBHIT

12.	RICHA GAUTAM	1564	CONSTRUCTION DIVISION PP MAINPURI	TUBEWELL DIVISION MAINPURI
13.	RAM CHANDRA MEENA	1565	MINIOR IRRIGATION DIVISION AGRA	PROVINCIAL DIVISION PWD AGRA
14.	NEERAJ PRAJAPATI	1566	IRRIGATION DIVISION FIROZABAD	PROVINCIAL DIVISION PWD FIROZABAD
15.	POOJA YADAV	1567	TUBEWELL DIVISION AURAIYA	CONSTRUCTION DIVISION PWD DIBIYAPUR AURAIYA
16.	PRAVEEN KUMAR SINGH	1569	TUBEWELL DIVISION WEST BAGPAT	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGPAT
17.	VARUN KUMAR YADAV	1570	RURAL ENGINEERING SERVICES DIVISION CHITRAKOOT	IRRIGATION DIVISION KARVI CHITRAKOOT
18.	PRANAV KUMAR PARASHAR	1571	Ty DIVISION (PMGSY) AURAIYA	IRRIGATION DIVISION, DIBIYAPUR AURAIYA
19.	SHAILJA GUPTA	1572	NATIONAL HIGHWAY DIVISION,PWD BANDA	IRRIGATION DIVISION-3 BANDA
20.	SHYAM MILAN RAJPOOT	1573	I&P DIVISION BANDA	PROVINCIAL DIVISION PWD BANDA
21.	YASHMIN	1574	WORLD BANK PWD DIVISION ALIGARH	MINOR IRRIGATION DIVISION ALIGARH
22.	RAMSHARAN	1575	IRRIGATION DIVISION KANNAUJ	Construction DIVISION - 1 PWD KANNAUJ
23.	DEVENDRA GAUTAM	1576	SARYU NAHAR KHAND-2 GONDA	PROVINCIAL DIVISION PWD Gonda

